

प्राविधिक संस्करण  
न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय गवालियर म.प्र.

270

394

### सर्किट कोर्ट कैम्प रीवा म.प्र.



1. बेवा कलावती गौतम पत्नी रामाधार गौतम उम्र 80 वर्ष पेशा कृषि चारों निवासी
2. देवेन्द्र गौतम पिता रामाधार गौतम उम्र 57 वर्ष
3. मिथ्यलेश गौतम पिता रामाधार गौतम उम्र 53 वर्ष
4. सत्येन्द्र कुमार गौतम पिता रामाधार गौतम उम्र 35 वर्ष
5. सुधा पुत्री रामाधार गौतम पत्नी रामेश्वर तिवारी निवासी ग्राम लखहा  
तहसील रामपुरबाघेलान जिला सतना म.प्र.
6. सरला पुत्री रामाधार गौतम पत्नी नीलेश तिवारी निवासी ग्राम लखहा  
तहसील रामपुरबाघेलान जिला सतना म.प्र.

अमरपाटन  
तहसील अमरपाटन  
जिला सतना म.प्र.

निगरानीकर्तागण

### बनाम

राघवेन्द्र गौतम तनय रामाधार गौतम उम्र 53 वर्ष पेशा खेती निवासी  
अमरपाटन जिला सतना म.प्र. गैरनिगराकार

निगरानी विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय  
श्रीमान् तहसीलदार महोदय रा.प्र.क्र.  
315अ27/16-17 आदेश दिनांक 28.02.  
2018

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.  
भू-राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

निगराकारगणों की ओर से निगरानी प्रस्तुत कर निम्नलिखित  
विनय करते हैं :-

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गैर निगराकार निगरानीकर्ता  
द्वारा म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 ई. की धारा 178/109/110 के  
तहत आवेदन पेश किया, जिसमें निगरानीकर्तागण उपस्थित होकर  
अपने जबाव के साथ प्रकरण में प्रथम दृष्टया प्रकरण के  
प्रचलनशीलता के बिन्दु पर आपत्ति इस आधार पर आपत्ति प्रस्तुत  
की गई कि आवेदक/निगरानीकर्तागण आवेदित भूमियों का  
सहभूमिस्वामी नहीं है, इसलिये बटवारा/खाता विभाजन का आवेदन

निगरानीकर्ता लूधा भरला

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक..... ४१/२०१८/१८/१६१७ ..... जिला..... सतना

नीमती कलावनी गोतम ..... विरुद्ध ..... शब्देवं गोतम

3

| 1       | 2   | 3 |
|---------|---|---|
| १७-१-१९ | <p>1. आवेदक की ओर से श्री... अद्वितीया ..... अधिवक्ता</p> <p>द्वारा यह अवैध तहसीलदार तहसील... रामपुर व्यायेलाला ..... के</p> <p>प्रकरण क्रमांक... ३१५/३०.२२/१६-१२ ..... में पारित आदेश</p> <p>दिनांक २८-२-१८ ..... के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म०प्र० भू-</p> <p>राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप</p> <p>अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए)</p> <p>के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर... सतना ..... के न्यायालय</p> <p>को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक ... ५-३-१९ ..... को</p> <p>कलेक्टर... सतना ..... के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>  |   |